कार्यालय प्राचार्य
शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
नैक ग्रेड–ए+, सी.पी.ई.–फेस–3, डी.बी.टी.–स्टार कालेज
फोन नं. 0788–2359688, फैक्स नं. 0788–2359688,
Website: www.govtsciencecollegedurg.ac.in

क्र. 1469 / 2023 दुर्ग, दिनांक 18 / 08 / 2023

प्रति,

PINTU KUMAR

विषयः – अतिथि व्याख्याता **विषय. बायोटेक्नोलॉजी** पर अध्यापन कार्य की अनुमति।

––0––

छत्तीत्रसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक F-3 / 54 / 2020 / 38–1 नवा रायपुर दिनांक 07 / 07 / 2023, एवं आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रं. 504 / आउशि / राज.स्था / 2023 अटल नगर, दिनांक 10.07.2023 के निर्देशानुसार आपको इस महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता **विषय –बायोटेक्नोलॉजी** पर अध्यापन की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत दी जाती है।

1. यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है।
2. अतिथि व्याख्यात महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नही माने जावेंगे।
3. प्रति व्याख्याता मानदेय 300 / – जो प्रतिदिन 1200 / – (अधिकतम चार कालखण्ड प्रतिदिन) तथा प्रति माह 31200 / – के सीलिंग के अधीन होगा।
4. प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय 3 प्रायोगिक कक्षाओं को 2 सैद्धांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जायेगा।
5. कार्य पर उपस्थित होते समय मूल प्रमाण पत्र जॉच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर अध्यापन अनुमति पत्र स्वतः निरस्त हो जावेगा।
6. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अभिप्राणिक बर्ताव के हकदार होगे।
7. अतिथि व्याख्याताओं को स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन कार्य सम्पन्न होने अथवा राज्य शासन का निर्देश प्राप्त होने तक रखा जावेगा।

8. अतिथि व्याख्याताओं को एक शपथ पत्र उपस्थिति के समय निष्पादन करना होगा जिसमें उल्लेख हो कि
अ.) उनका कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
ब.) वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।
स.) वह किसी अन्य महाविद्यालय/संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहा है ।

9. महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित शासन से स्थानांतरण में नियमित प्राध्यापक/सहा.प्राध्यापक की नियुक्ति होने से यह अनुमति स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी।
10. महाविद्यालय में अनुशासित एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार कर्तव्य का निष्पादन करेंगे, प्राचार्य/विभगाध्यक्ष के निर्देशों की अवहेलना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुबंध समाप्त करने का पूर्ण आधार होगा ।
11. आमंत्रण तिथि से 05 दिवस के अन्दर कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है।

(डॉ. आर.एन. सिंह)
प्राचार्य
शास.वि.या.ता.स्नात.स्वशासी महाविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र. 1470 /अतिथि अध्या./2023 दुर्ग दिनांक 18/08/2023

प्रतिलिपि : –

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय,इंद्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
2. स्थापना शाखा, प्राचार्य शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग को सूचनार्थ।

(डॉ. आर.एन. सिंह)
प्राचार्य
शास.वि.या.ता.स्नात.स्वशासी महाविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)